

18.10.21.

पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज लगाई गई परन्तु न अधिवक्ता अपीलान्ट और न अपीलान्ट स्वयं उपाखित आये। अतः पत्रावली अदम हाजरी, अदम पैरवी में रवारिज की जाती है। पत्रावली फेसल शुमार लेकर ~~बाद~~ से कम की जाकर, बाद जाला कारिका दफतर से।

भू प्रबन्ध अधिकारी  
पदेन  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
भरतपुर (राज.)